डिकी मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

जज अदालत–न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) मुकाम–बांदीकुई

जज इजलास– नीतू करोल आर.ए.एस. सहायक कलक्टर बांदीकुई

उनवान– हेतराम बनाम छुटटन वगै.

दावा बाबत– तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

मु.न. 222/2022 न्यायालय हाजा में दर्ज मु.न. 39/2023

आदेश है कि ग्राम खुंटला के खाता सं. नया 54 पुराना 54 के खसरा नम्बर 476 रकबा 0.05 हैक्टे, खसरा नम्बर 477 रकबा 0.08 हैक्टे. खसरा नम्बर 478 रकबा 0.47 हैक्टे. खसरा नम्बर 479 रकबा 0.14 हैक्टे. खसरा नम्बर 480 रकबा 0.09 हैक्टे. खसरा नम्बर 481 रकबा 0.15 हैक्टे. खसरा नम्बर 482 रकबा 0.13 हैक्टे. खसरा नम्बर 483 रकबा 0.17 हैक्टे. खसरा नम्बर 484 रकबा 0.02 हैक्टे. खसरा नम्बर 485 रकबा 0.25 हैक्टे. खसरा नम्बर 486 रकबा 0.26 हैक्टे. खसरा नम्बर 487 रकबा 0.40 हैक्टे. खसरा नम्बर 488 रकबा 0.20 हैक्टे. खसरा नम्बर 489 रकबा 0.01 हैक्टे, खसरा नम्बर 490 रकबा 0.08 हैक्टे, खसरा नम्बर 491 रकबा 0.10 हैक्टे. खसरा नम्बर 493 रकबा 1.54 हैक्टे. खसरा नम्बर 494 रकबा 0.29 हैक्टे. खसरा नम्बर 495 रकबा 0.27 हैक्टे. खसरा नम्बर 496 रकबा 0.15 हैक्टे. खसरा नम्बर 497 रकबा 0.56 हैक्टे. खसरा नम्बर 498 रकबा 0.47 हैक्टे खसरा नम्बर 495 रकबा 0.59 हैक्टे. खसरा नम्बर 500 रकबा 0.50 हैक्टे, खसरा नम्बर 501 रकबा 0.22 हैक्टे. खसरा नम्बर 502 रकबा 0.07 हैक्टे. खसरा नम्बर 503 रकबा 0.20 हैक्टे, खसरा नम्बर 504 रकबा 0.17 हैक्टे. खसरा नम्बर 505 रकबा 0.05 हैक्टे. कुल किता 30 कुल रकबा 7.69 हैक्टेयर में वादी द्वारा पेश दावा उद्घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का खारिज योग्य होने से खारिज किया जाता है।

निज..............................मुबलिग...बाबत्...

खर्चा इस मुकदमें के मय सूद मसरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक का अदा करें। बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 16 माह 07 सन् 2025 को जारी की गई।

(नीतू करोल)
आरएएस
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक)
बांदीकुई

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) बांदीकुई

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालत नामास्टाम्प वजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान	निल	निल	स्आम्प अर्जी दावा स्टाम्प अर्जी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान	निल	निल

दस्तखत..............................

ओहदा..............................

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) बांदीकुई

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) बांदीकुई

मु.न. 222/2022
न्यायालय हाजा मे दर्ज 39/2023
निर्णय दिनांक 16.07.2025

उनवान

1. हेतराम दत्तक पुत्र बोदन नाबालिग जरिये संरक्षक हनुताराम पुत्र रामरख जाति गुर्जर निवासी खुंटला तहसील बसवा जिला दौसा।

वादी..............।

बनाम

1. छुट्टन पुत्र रामरख
2. मोहनलाल } पुत्रान जगदीश
3. लोकेश
4. हरिकिशन पुत्र भौरीलाल समस्त जाति गुर्जर निवासी खूंटला
5. तहसीलदार बसवा, जरिये लैण्डहोल्डर, बसवा तहसील बसवा जिला दौसा।
6. उपपंजीयन अधिकारी, बांदीकुई तहसील बसवा जिला दौसा।

प्रतिवादीगण...................।

दावा उदघोषणा, एवं स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक 16.07.2025

वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण दावा इस्तकरारहक,तकास्मा एवं हुक्म इम्तनाई दवामी जर्ये वकील न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट के न्यायालय में पेश किया गया था। प्रकरण शीघ्र सुनवाई हेतु न्यायालय हाजा में स्थानान्तरण होकर प्राप्त हुआ जिसका संक्षिप्त में विवरण निम्न प्रकार है ग्राम खुंटला के खाता सं. नया 54 पुराना 54 के खसरा नम्बर 476 रकबा 0.05 हैक्टे, खसरा नम्बर 477 रकबा 0.08 हैक्टे. खसरा नम्बर 478 रकबा 0.47 हैक्टे. खसरा नम्बर 479 रकबा 0.14 हैक्टे. खसरा नम्बर 480 रकबा 0.09 हैक्टे. खसरा नम्बर 481 रकबा 0.15 हैक्टे. खसरा नम्बर 482 रकबा 0.13 हैक्टे. खसरा नम्बर 483 रकबा 0.17 हैक्टे. खसरा नम्बर 484 रकबा 0.02 हैक्टे. खसरा नम्बर 485 रकबा 0.25 हैक्टे. खसरा नम्बर 486 रकबा 0.26 हैक्टे. खसरा नम्बर 487 रकबा 0.40 हैक्टे. खसरा नम्बर 488 रकबा 0.20 हैक्टे. खसरा नम्बर 489 रकबा 0.01 हैक्टे, खसरा नम्बर 490 रकबा 0.08 हैक्टे, खसरा नम्बर 491 रकबा 0.10 हैक्टे. खसरा नम्बर 493 रकबा 1.54 हैक्टे. खसरा नम्बर 494 रकबा 0.29 हैक्टे. खसरा नम्बर 495 रकबा 0.27 हैक्टे. खसरा नम्बर 496 रकबा 0.15 हैक्टे. खसरा नम्बर 497 रकबा 0.56 हैक्टे. खसरा नम्बर 498 रकबा 0.47 हैक्टे खसरा नम्बर 495 रकबा 0.59 हैक्टे. खसरा नम्बर 500 रकबा 0.50 हैक्टे, खसरा नम्बर 501 रकबा 0.22 हैक्टे. खसरा नम्बर 502 रकबा 0.07 हैक्टे. खसरा नम्बर 503 रकबा 0.20 हैक्टे, खसरा नम्बर 504 रकबा 0.17 हैक्टे. खसरा नम्बर 505 रकबा 0.05 हैक्टे. कुल किता 30 कुल रकबा 7.69 हैक्टेयर स्थित है, उक्त भूमि मुतदाविया में वादी को मृतक बोदन द्वारा हनुताराम व उसकी पत्नी कमोद ने जो कि इनकी सबसे छोटी संतान हूँ को बचपन में ही बोदन को गोद देने का मन बना लिया था तब से ही वादी

सहायक कलेक्टर एवं

बोदन के पास ही अपनी पढाई, लिखाई व भरण पोषण का प्रबन्ध करता चला आ रहा है बोदन की वादी सारसम्भाव व सेवा करता रहा है लेकिन पूर्व में समयाभाव के कारण कोई लिखित दस्तावेज तैयार नहीं कराया गया था जो कि दिनांक 07.07.2021 को ग्राम के पंच पटेलों के समक्ष उक्त गोदनामा नोटेरी पब्लिक से साक्षी की गवाह में तस्दीक व तहरीर करवाया गया है। इसलिये वादी ही कानूनन मृतक बोदन की चल व अचल सम्पत्ति का अधिकारी है। बोदन की दिनांक 25.09.2021 को मृत्यु हो चुकी है लेकिन अब प्रतिवादीगण के मन में बदेहान्ति पैदा हो गई है जो कि मृतक बोदन की सम्पत्ति को येन केन प्रकारेण वादी का नाबालिग होने का फायदा उठाकर खुर्द बुर्द करने पर आमादा है। जब वादी ने प्रतिवादीगण से मृतक बोदन की खातेदारी भूमि में हिस्सा 1/4 अपने नाम करवाने की कही तो प्रतिवादीगण साफ इंकार हो गये और वादी को ऐलानियां धमकी दी कि तुमको उक्त भूमि से बेदखल कर मृतक बोदन का हिस्सा हम लेकर रहेगें, तुम्हारा उक्त भूमि से कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं है। जब वादी ने कहा कि मृतक बोदन ने वादी को बचपन से ही गोद ले रखा है जिसकी लिखावट दिनांक 07.07.2021 को पंच पटेलो के समक्ष व नोटेरी पब्लिक के समक्ष तस्दीक व तहरीर की गई है। इसलिये मृतक बोदन की खातेदारी भूमि में वादी उद्घोषणा खातेदारी कराने का अधिकारी है। लेकिन प्रतिवादीगण ने कहा कि हम तुमको उक्त भूमि से बेदखल कर अपना जबरिया कब्जा कर उक्त खातेदारी हमारे नाम लेकर रहेंगे इसलिये वादी को यह वाद पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। वादी गोद पत्र दिनांक 07.07.2021 के अनुसार मृतक बोदन की खातेदारी भूमि मुतदाविया में बोदन का हिस्सा 1/4 की उद्घोषणा खातेदारी करवाने का अधिकारी है। वादी बचपन से ही मृतक बोदन के हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त है लेकिन अब प्रतिवादीगण के मन में बदेहान्ति पैदा हो गई है जो कि वादी का नाबालिग का फायदा उठाकर मृतक बोदन के हिस्से की भूमि को खुर्द बुर्द करने पर उतारू है व मृतक बोदन के हिस्से की भूमि से वादी को बेदखल कर दीगर व्यक्तियों का कब्जा कराने पर आमादा है। इसलिये प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित है कि वे मृतक बोदन के हिस्से की भूमि से वादी को बेदखल न करे जब तक वादी को मृतक बोदन के हिस्से की गोदपत्र के आधार से उद्घोषणा खातेदारी नहीं मिल जाती। इसलिये वादी को यह वाद पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वाद, वादी बरखिलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावे ग्राम खुंटला के खाता सं. नया 54 पुराना 54 के खसरा नम्बर 476 रकबा 0.05 हैक्टे. खसरा नम्बर 477 रकबा 0.08 हैक्टे. खसरा नम्बर 478 रकबा 0.47 हैक्टे. खसरा नम्बर 479 रकबा 0.14 हैक्टे. खसरा नम्बर 480 रकबा 0.09 हैक्टे. खसरा नम्बर 481 रकबा 0.15 हैक्टे. खसरा नम्बर 482 रकबा 0.13 हैक्टे. खसरा नम्बर 483 रकबा 0.17 हैक्टे. खसरा नम्बर 484 रकबा 0.02 हैक्टे. खसरा नम्बर 485 रकबा 0.25 हैक्टे. खसरा नम्बर 486 रकबा 0.26 हैक्टे. खसरा नम्बर 487 रकबा 0.40 हैक्टे. खसरा नम्बर 488 रकबा 0.20 हैक्टे. खसरा नम्बर 489 रकबा 0.01 हैक्टे. खसरा नम्बर 490 रकबा 0.08 हैक्टे. खसरा नम्बर 491 रकबा 0.10 हैक्टे. खसरा नम्बर 493 रकबा 1.54 हैक्टे. खसरा नम्बर 494 रकबा 0.29 हैक्टे. खसरा नम्बर 495 रकबा 0.27 हैक्टे. खसरा नम्बर 496 रकबा 0.15 हैक्टे. खसरा नम्बर 497 रकबा 0.56 हैक्टे. खसरा नम्बर 498 रकबा 0.47 हैक्टे. खसरा नम्बर 495 रकबा 0.59 हैक्टे. खसरा नम्बर 500 रकबा 0.50 हैक्टे. खसरा नम्बर 501 रकबा 0.22 हैक्टे. खसरा नम्बर 502 रकबा 0.07 हैक्टे. खसरा नम्बर 503 रकबा 0.20 हैक्टे. खसरा नम्बर 504 रकबा 0.17 हैक्टे. खसरा नम्बर 505 रकबा 0.05 हैक्टे. कुल किता 30 कुल रकबा 7.69 हैक्टेयर स्थित है, में वादी, मृतक बोदन के हिस्से

Scanned with OKEN Scanner

की भूमि गोदपत्र दिनांक 07.07.2021 के अनुसार उक्त भूमि में 1/4 हिस्से की खातेदारी उद्घोषणा करवाने का अधिकारी है। प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से इस अमर से पाबन्द फरमाया जावें उक्त भूमि पर जब तक वादी के नाम उद्घोषणा खातेदारी नही हो जाती तब तक प्रतिवादीगण वादी के हिस्से की कब्जे, काश्त की भूमि में किसी प्रकार की मजाहमत व व्यवधान पैदा करने से व वादी को जबरन भूमि मुतदाविया से बेदखल करने एवं उक्त भूमि मुतदाविया में अवैध निर्माण करने से व अन्य दीगर व्यक्तियों को रहन, बय, बेचान करने से स्वयं, घरवालो, नौकरो, एजेन्टो से दवामि तौर पर बाज व मुमतन्हा रहें। मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

वाद वादी दर्ज रजिस्टर कर तलबी प्रतिवादीगण की गई प्रतिवादी 1 का जवाब पेश हुआ जो निम्न प्रकार है कि वादपत्र का पैरा नम्बर 01 राजस्व रिकार्ड से सम्बन्धित होने से स्वीकार है। वादपत्र का पैरा नम्बर 02 स्वीकार है लेकिन वादी का यह कथन गलत है कि मिन प्रतिवादी ने वादी से कहा हो कि हम तुमको उक्त भूमि से बेदखल कर अपना जबरिया कब्जा कर उक्त खातेदारी हमारे नाम लेकर रहेगे उक्त तथ्य मनगढन्त व बनावटी दर्ज किया गया है। वादपत्र का पैरा नम्बर 03 स्वीकार है उक्त पैरा में वादी ने यह कथन गलत दर्ज किये है कि मिन प्रतिवादी के मन में बदेहान्ति पैदा हो गई जो कि वादी का नाबालिग का फायदा उठाकर मृतक बोदन के हिस्से की भूमि को खुर्द बुर्द करने पर उत्तारू है व मृतक बोदन के हिस्से की भूमि से वादी को बेदखल करने पर उत्तारू है। व मृतक बोदन के हिस्से की भूमि से वादी को बेदखल कर दीगर व्यक्तियों का कब्जा कराने पर अमादा है। वादपत्र का पैरा नम्बर 04 में वादी ने समस्त तथ्य मनगढन्त व बेबुनियाद दर्ज किये है जो अस्वीकार है। वादपत्र का पैरा नम्बर 05 गलत है अस्वीकार है। मिन प्रतिवादी द्वारा वादी को किसी प्रकार की कोई धमकी नहीं दी गई है। वादपत्र का पैरा नम्बर 06 कानूनी है जवाब मोहताज नहीं है।

अतिरिक्त कथन वादी को मृतक बोदन द्वारा हनुताराम व उसकी पत्नी कमोद ने जो कि इनकी सबसे छोटी सन्तान है को बचपन में ही बोदन को गोद देने का बन बना लिया था तब से ही वादी बोदन के पास ही अपनी पढाई लिखाई व भरण पोषण का प्रबन्ध करता चला आ रहा है। बोदन की वादी सरसम्भाल व सेवा सुश्रसा करता रहा है लेकिन पूर्व में समयाभाव के कारण कोई लिखित दस्तावेज तैयार नही करया गया था जो दिनांक 07/07/2021 को ग्राम के पंच पटेलो के समक्ष उक्त गोदनामा नोटेरी पब्लिक से साक्षी की गवाहन में तस्दीक व तहरीर करवाया गया है। इसलिये वादी ही कानूनन मृतक बोदन की चल व अचल सम्पत्ति का अधिकारी है बोदन की दिनांक 25/09/2021 को मृत्यु हुई है जिसकी मृत्यु पर समस्त रस्में जिनमें पिण्डदान, पगडी रस्म, ब्राहम्ण भोज आदि समस्त कार्य वादी द्वारा ही किये गये है। बोदन की चल अचल सम्पत्ति का वादी ही एक मात्र अधिकारी है। वादपत्र में वर्णित विवादग्रस्त भूमि का विधिवत रूप से सरस–नरस व रास्तों व यथा सम्भव कब्जे काश्त को ध्यान में रखते हुये तकास्मा किये जाने मे मिन प्रतिवादी को कोई एतराज नही है। अर्थात तकास्मा किये जाने व वादी के हिस्से अनुसार उद्घोषणा किये जाने में मिन प्रतिवादी पूर्णतया सहमत है। अतः जवाब दावा मिन प्रतिवादी संख्या 01 की और से श्रीमान की सेवामें प्रस्तुत है।

प्रकरण में प्रतिवादी 5,6 की एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी 2,3,4 का जवाब बन्द किया जाकर प्रकरण में निम्न तनकीयात कायम की गई

1. आया वादी वादग्रस्त भूमि में मृतक बोदन के हिस्से 1/4 का गोद पत्र दिनांक 07.07.2021 के अनुसार हिस्सा 1/4 की खातेदारी उद्घोषणा करवाने का अधिकारी है।.....वादी

2. आया वादी वादग्रस्त भूमि में जब तक वादी के नाम उद्घोषणा खातेदारी नही हो जाती तब तक प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकारी है। वादी............।
3. आया प्रतिवादी संख्या 1 वादी के हिस्से अनुसार उद्घोषणा किये जाने में प्रतिवादी पूर्णतया सहमत है। प्रतिवादी संख्या 1

प्रकरण वादी साक्ष्य पर नियत किया गया वादी की ओर से पूरण मल गुर्जर पुत्र रणजीता, हरिकुमार पुत्र मांगीलाल बैरवा, रामचन्द्र पुत्र मुलचन्द, हनुताराम पुत्र रामरख का साक्ष्य शपथ पत्र पेश हुये। पत्रावली प्रतिवादी साक्ष्य पर नियत की गई प्रतिवादी की ओर से हाजीर नही होने पर प्रतिवादी साक्ष्य बन्द की जाकर प्रकरण बहस पर नियत किया गया।

प्रकरण में बहस सुनी गई। बहस के दौरान वादी अधिवक्ता दावे को दोहराते हुये तर्क किया है कि उक्त भूमि मुतदाविया में वादी को मृतक बोदन द्वारा हनुताराम व उसकी पत्नी कमोद ने जो कि इनकी सबसे छोटी संतान हूँ को बचपन में ही बोदन को गोद देने का मन बना लिया था तब से ही वादी बोदन के पास ही अपनी पढाई, लिखाई व भरण पोषण का प्रबन्ध करता चला आ रहा है बोदन की वादी सारसम्भाव व सेवा करता रहा है लेकिन पूर्व में समयाभाव के कारण कोई लिखित दस्तावेज तैयार नहीं कराया गया था जो कि दिनांक 07.07.2021 को ग्राम के पंच पटेलों के समक्ष उक्त गोदनामा नोटेरी पब्लिक से साक्षी की गवाह में तस्दीक व तहरीर करवाया गया है। इसलिये वादी ही कानूनन मृतक बोदन की चल व अचल सम्पत्ति का अधिकारी है। बोदन की दिनांक 25.09.2021 को मृत्यु हो चुकी है लेकिन अब प्रतिवादीगण के मन में बदेहान्ति पैदा हो गई है जो कि मृतक बोदन की सम्पत्ति को येन केन प्रकारेण वादी का नाबालिग होने का फायदा उठाकर खुर्द बुर्द करने पर आमादा है। दावा स्वीकार किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

बहस वादी अधिवक्ता पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रकरण का तनकी वार निर्णय निम्न प्रकार है।

तनकी संख्या 1. आया वादी वादग्रस्त भूमि में मृतक बोदन के हिस्से 1/4 का गोद पत्र दिनांक 07.07.2021 के अनुसार हिस्सा 1/4 की खातेदारी उद्घोषणा करवाने का अधिकारी है। उक्त तनकी को साबित करने का भार वादी पर है। वादी की ओर प्रदर्श 1 ग्राम खूंटला की जमाबन्दी खाता संख्या नया 54 पुराना 54 , तथा प्रदर्श 2 गोदनामा नोटेरी पब्लिक से साक्षी की गवाह में तस्दीक व तहरीर पेश किया गया है। वादी मृतक बोदन के हिस्सा 1/4 की खातेदारी उक्त गोदनामा पत्र दिनांक 07.07.2021 नोटेरी पब्लिक के आधार पर चाहता है। गोदनामा रजिस्टर्ड गोद नामा नही है। अन रजिस्टर्ड गोदनामा के आधार पर वादी को खातेदार घोषित किया जाना उचित नही है। तनकी संख्या 1 को वादी साबित करने में असफल रहा है। तनकी संख्या 1 वादी के पक्ष में तय नही की जाती है।

तनकी संख्या 2 आया वादी वादग्रस्त भूमि में जब तक वादी के नाम उद्घोषणा खातेदारी नही हो जाती तब तक प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकारी है। उक्त तनकी को साबित करने का भार वादी तनकी संख्या 1 के विवेचन के आधार पर वादी को खातेदारी नही दी जा सकती है। स्थायी निषेधाज्ञा केवल खातेदार ही दावा कर सकता है। वाद ग्रस्त भूमि में वादी खातेदार नही है। इसलिये तनकी संख्या 1 वादी के पक्ष में तय नही की जाती है।

तनकी संख्या 3. आया प्रतिवादी संख्या 1 वादी के हिस्से अनुसार उद्घोषणा किये जाने में प्रतिवादी पूर्णतया सहमत है। उक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी संख्या 1 पर

है प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा कोई दस्तावेज पेश नही किया गया है। वादी द्वारा पेश दस्तावेजात के अनरजिस्टर्ड गोद पत्र के आधार वादग्रस्त भूमि की खातेदारी पाने का अधिकारी नही है। इसलिये उक्त तनकी को साबित करने में प्रतिवादी संख्या 1 असफल रहा है। तनकी संख्या 1 प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में तय नही की जाती है।

अनुतोषः– तनकी संख्या 1 लगायत 3 के विवेचन के आधार पर वादी द्वारा अन रजिस्टर्ड गोद नामे के आधार पर वादग्रस्त भूमि में खातेदारी चाही गई है। अनरजिस्टर्ड गोद नामे के आधर पर वादी को खातेदारी नही दी जा सकती है। इसलिये वादी वाद खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश है कि ग्राम खुंटला के खाता सं. नया 54 पुराना 54 के खसरा नम्बर 476 रकबा 0.05 हैक्टे, खसरा नम्बर 477 रकबा 0.08 हैक्टे. खसरा नम्बर 478 रकबा 0.47 हैक्टे. खसरा नम्बर 479 रकबा 0.14 हैक्टे. खसरा नम्बर 480 रकबा 0.09 हैक्टे. खसरा नम्बर 481 रकबा 0.15 हैक्टे. खसरा नम्बर 482 रकबा 0.13 हैक्टे. खसरा नम्बर 483 रकबा 0.17 हैक्टे. खसरा नम्बर 484 रकबा 0.02 हैक्टे. खसरा नम्बर 485 रकबा 0.25 हैक्टे. खसरा नम्बर 486 रकबा 0.26 हैक्टे. खसरा नम्बर 487 रकबा 0.40 हैक्टे. खसरा नम्बर 488 रकबा 0.20 हैक्टे. खसरा नम्बर 489 रकबा 0.01 हैक्टे, खसरा नम्बर 490 रकबा 0.08 हैक्टे, खसरा नम्बर 491 रकबा 0.10 हैक्टे. खसरा नम्बर 493 रकबा 1.54 हैक्टे. खसरा नम्बर 494 रकबा 0.29 हैवरे. खसरा नम्बर 495 रकबा 0.27 हैक्टे. खसरा नम्बर 496 रकबा 0.15 हैक्टे. खसरा नम्बर 497 रकबा 0.56 हैक्टे. खसरा नम्बर 498 रकबा 0.47 हैक्टे खसरा नम्बर 495 रकबा 0.59 हैक्टे. खसरा नम्बर 500 रकबा 0.50 हैक्टे, खसरा नम्बर 501 रकबा 0.22 हैक्टे. खसरा नम्बर 502 रकबा 0.07 हैक्टे. खसरा नम्बर 503 रकबा 0.20 हैक्टे, खसरा नम्बर 504 रकबा 0.17 हैक्टे. खसरा नम्बर 505 रकबा 0.05 हैक्टे. कुल किता 30 कुल रकबा 7.69 हैक्टेयर में वादी द्वारा पेश दावा उद्घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का खारिज योग्य होने से खारिज किया जाता है। डिकी पर्चा जारी होकर प्रकरण फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। मेरे द्वारा आज दिनांक 16.07.2025 को पेश हो।

(नीरज करोल)
आरएएस
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक)
बांदीकुई

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) बांदीकुई

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहका[illegible] हुक्म [illegible] में जा[illegible]
	16/7/25 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी उपस्थित [illegible] वादी द्वारा धारा 34 [illegible] एवं स्थायी निषेधाज्ञा का [illegible] किया जाता है कि [illegible] विधि प्रावधान के [illegible] जाकर [illegible] पत्रावली [illegible] किया जावे। प्रकरण [illegible] [illegible] [illegible] बाद [illegible] [illegible] दर्ज हो [signature] सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट ([illegible]) बांदीकुई	